



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2016/कार्तिक 16, 1938

No. 397]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2016/KARTIKA 16, 1938

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

**सं. 24-14/2016(यू.जी.रेगुलेशन).**—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (झ), (ञ) और (ट) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से “भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1986 में आगे संशोधन करते हुए निम्न विनियमों का निर्माण करती है, यथा:-

**1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-**

- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जायेगा।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1986 की विद्यमान अनुसूची-1 के लिए निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

**“अनुसूची-1****(विनियम 5 देखें)****1. उद्देश्य एवं प्रयोजन-**

आयुर्वेद की स्नातक शिक्षा का उद्देश्य व्यापक प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ आधुनिक चिकित्सा में वैज्ञानिक प्रगति के ज्ञान सहित अष्टांग आयुर्वेद का गहन ज्ञान रखने वाले स्नातक तैयार करना होगा जो कि स्वास्थ्य-सेवा कार्य करने में पूर्णतः सक्षम एवं दक्ष काय-चिकित्सक एवं शल्य-चिकित्सक होंगे।

**2. प्रवेशार्हता - आयुर्वेद की स्नातकीय शिक्षा में प्रवेश योग्यता निम्न प्रकार हैं :-**

- (क) विज्ञान विषय के साथ 12वीं कक्षा या सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य समकक्ष परीक्षा बशर्ते कि अभ्यर्थी ने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान विषयों में कम से कम पचास प्रतिशत समुच्चय अंको के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (ख) आरक्षित श्रेणी या विशेष श्रेणी जैसा कि शारीरिक विकलांग छात्रों के लिए 10+2 में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी में प्रवेश हेतु तत्काल लागू नियमानुसार अंकों में छूट दी जायेगी।
- (ग) विदेशी छात्रों के लिए कोई भी अन्य समकक्ष अर्हता जो कि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

**3. पाठ्यक्रम की अवधि- पाठ्यक्रम की अवधि पाँच वर्ष एवं छः माह होगी जिसमें समाविष्ट है-**

- |                                     |   |        |
|-------------------------------------|---|--------|
| (क) प्रथम व्यावसायिक                | - | 12 माह |
| (ख) द्वितीय व्यावसायिक              | - | 12 माह |
| (ग) तृतीय व्यावसायिक                | - | 12 माह |
| (घ) अंतिम व्यावसायिक                | - | 18 माह |
| (ड.) अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश | - | 12 माह |

4. **प्रदान की जाने वाली उपाधि-** अभ्यर्थी को अध्ययन की विस्तृत नियत अवधि पूर्ण करने, पश्चात् सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने तथा 12 माह के अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश को पूर्ण करने के पश्चात् आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी - बी.ए.एम.एस.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

5. **शिक्षा का माध्यम-** पाठ्यक्रम की शिक्षा का माध्यम संस्कृत अथवा हिन्दी अथवा कोई मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय भाषा अथवा अंग्रेजी होगी।

**6. परीक्षा की प्रणाली-**

- (1) (क) प्रथम व्यावसायिक सत्र साधारणतया जुलाई में प्रारम्भ होगा एवं प्रथम व्यावसायिक परीक्षा प्रथम व्यावसायिक सत्र के एक शैक्षणिक सत्र की समाप्ति पर होगी।
- (ख) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी यथा:-
  - (i) पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास
  - (ii) संस्कृत
  - (iii) क्रिया शारीर (फिजियोलॉजी)
  - (iv) रचना शारीर (एनाटमी) एवं
  - (v) मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय (सूत्र स्थान)

- (ग) प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण छात्र द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु निबन्धन के लिए पात्र होगा, तथापि जब तक वह छात्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता, तब तक उस छात्र को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी एवं प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम तीन वर्षों में अधिकतम चार अवसर दिए जायेंगे।
- (2) (क) द्वितीय व्यावसायिक सत्र प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारंभ होगा एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया द्वितीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई अथवा जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।
- (ख) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी यथा:-
- द्रव्यगुण विज्ञान (फार्माकोलोजी एवं मैटिरिया मेडिका);
  - रस-शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (फार्मास्यूटिकल्स साइन्स);
  - रोग निदान एवं विकृति विज्ञान (डायग्नोस्टिक प्रोसिजर एवं पैथोलॉजी); एवं
  - चरक-संहिता पूर्वार्द्ध (एक पौराणिक आयुर्वेदिक विषय, भाग-1);
- (ग) द्वितीय व्यावसायिक के अनुत्तीर्ण छात्र जिसने प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के समस्त विषय उत्तीर्ण कर लिए हैं को तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन छात्र को तब तक अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक छात्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं कर लेता और उसे द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम तीन वर्षों में अधिकतम चार अवसर दिए जायेंगे।
- (3) (क) तृतीय व्यावसायिक सत्र द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा एवं तृतीय व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया तृतीय व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष मई अथवा जून माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी।
- (ख) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा निम्न विषयों में होगी यथा, :-
- अगदतंत्र व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक (टॉक्सीकोलोजी एवं मेडिकल जुरिसप्रुडेन्स)
  - चरक संहिता-उत्तरार्द्ध (एक पौराणिक आयुर्वेदिक विषय, भाग-II)
  - स्वस्थवृत्त एवं योग (प्रीवेन्टिव एण्ड सोशल मेडीसिन एण्ड योग)
  - प्रसूति एवं स्त्रीरोग (ऑब्स्टेट्रिक्स एवं गायनकोलाजी) एवं
  - बाल रोग (पीडिएट्रिक्स)
- (ग) तृतीय व्यावसायिक अनुत्तीर्ण छात्र जो प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों में उत्तीर्ण होगा उसे अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुमति दी जायेगी एवं उसे तृतीय व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम तीन वर्षों में अधिकतम चार अवसर दिये जायेंगे।
- (4) (क) अंतिम व्यावसायिक सत्र एक वर्ष एवं छः माह की अवधि का होगा तथा तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में प्रारम्भ होगा एवं अंतिम व्यावसायिक परीक्षा साधारणतया अंतिम व्यावसायिक सत्र के एक वर्ष एवं छः माह पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष अक्टूबर अथवा नवम्बर माह के अंत तक होगी तथा पूरी की जायेगी;
- (ख) अंतिम व्यावसायिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय समाविष्ट होंगे :-
- शल्य तंत्र (जनरल सर्जरी);
  - शालाक्य तंत्र (डिसीज ऑफ हैड एवं नैक ओथोलमोलॉजी, ई.एन.टी. एवं डेन्टिस्ट्री को समाविष्ट करते हुए);
  - कायचिकित्सा (इन्टर्नल मेडीसिन-मानस रोग, रासायन एवं वाजीकरण को समाविष्ट करते हुए);
  - पंचकर्म; एवं
  - शोध पद्धति एवं चिकित्सा सांख्यिकी;
- (ग) शोध पद्धति एवं चिकित्सा सांख्यिकी संहिता एवं सिद्धान्त अनुभाग में रहेगी लेकिन अध्यापन के उद्देश्य से, शोध पद्धति के अध्यापन हेतु अंश कालिक बायो स्टेटीस्टीसीयन की आवश्यकता होगी;
- (घ) चार व्यावसायिक परीक्षाओं के किसी परीक्षा में चार अवसरों के पश्चात् अनुत्तीर्ण छात्र को नियमित अध्ययन की अनुमति नहीं दी जायेगी;
- (ङ.) अनिवार्य विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में पात्रता हेतु समस्त चार व्यावसायिक परीक्षाओं को अधिकतम नौ वर्षों में उपरोक्त अनुसार उत्तीर्ण करना होगा।

7. **अनिवार्य आवर्ती विशिखानुप्रवेश-** (1) अनिवार्य विशिखानुप्रवेश की अवधि एक वर्ष होगी और छात्र प्रथम से अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा के समस्त विषय उत्तीर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य विशिखानुप्रवेश में सम्मिलित होने का पात्र होगा एवं विशिखानुप्रवेश अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रारम्भ होगा।

(2) विशिखानुप्रवेश का कार्यक्रम एवं समय विभाजन निम्न प्रकार होगा:-

- (क) प्रशिक्षुओं को एक अभिविन्यास कार्यशाला जिसे विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के प्रारम्भ के प्रथम तीन दिवसों के दौरान आयोजित किया जायेगा, में नियमों एवं विनियमों सहित विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम के ब्यौरे से सम्बन्धित एक अभिविन्यास दिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षु को एक कार्य-पुस्तिका दी जायेगी। प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण के दौरान उन गतिविधियों के तिथिवार ब्यौरे की प्रविष्टि करेगा;
- (ख) प्रत्येक प्रशिक्षु विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व सम्बन्धित राज्य बोर्ड अथवा परिषद् में अपना नाम अस्थाई रूप से पंजीकृत कराएगा तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा;
- (ग) प्रशिक्षु का दैनिक कार्य-समय 8 घंटे से कम का नहीं होगा;
- (घ) सामान्यतः एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम महाविद्यालय से संलग्न आयुर्वेदिक अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण एवं पी.एच.सी/सी.एच.सी./ग्रामीण अस्पताल/जिला अस्पताल अथवा सिविल अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी सरकारी अस्पताल में छः माह के नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण में विभक्त किया जायेगा:

बशर्ते जिस राज्य में राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद स्नातकों को आधुनिक विज्ञान के अस्पताल एवं औषधालय में अनुमति नहीं है एक वर्ष का विशिखानुप्रवेश आयुर्वेद महाविद्यालय के अस्पताल में पूर्ण कराया जायेगा।

3. महाविद्यालय से संलग्न आयुर्वेदिक अस्पताल में यथास्थिति छः अथवा बारह माह का नैदानिक (क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् संचालित किया जायेगा या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित गैर-शिक्षण अस्पताल में निम्न प्रकार संचालित किया जायेगा :-

क्र.सं.	विभाग	छः माह का विभाजन	बारह माह का विभाजन
(i)	कायचिकित्सा	दो माह	चार माह
(ii)	शल्य	एक माह	दो माह
(iii)	शालाक्य	एक माह	दो माह
(iv)	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	एक माह	दो माह
(v)	बालरोग-कौमार भृत्य	पन्द्रह दिन	एक माह
(vi)	पंचकर्म	पन्द्रह दिन	एक माह

4. प्रशिक्षुओं का छः माह का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं को अवगत एवं परिचित कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जायेगा। प्रशिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व लेने हेतु निम्नलिखित में से किसी एक संस्थान में सम्मिलित होना होगा, यथा-

- (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र;
- (ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला अस्पताल;
- (ग) मान्य एवं अनुमोदित आधुनिक चिकित्सा का कोई अस्पताल;
- (घ) मान्य एवं अनुमोदित किसी आयुर्वेद अस्पताल अथवा औषधालय;

बशर्ते उपर्युक्त सभी संस्थान जो खण्ड (क) से (घ) तक अंकित हैं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं सम्बन्धित राज्य सरकार के नामित प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रशिक्षण करने हेतु मान्य होगी।

5. विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश महाविद्यालय के साथ संलग्न आयुर्वेदिक अस्पताल में छः अथवा बारह माह का विशिखानुप्रवेश नैदानिक(क्लीनिकल) प्रशिक्षण संचालित करने हेतु दिशानिर्देश एवं प्रशिक्षु को नीचे दर्शाये गये सम्बन्धित विभागों में निम्नलिखित गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना होगा:-

(क) **कायचिकित्सा-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि दो माह या चार माह निम्न क्रियाकलापों सहित होगी :-

- (i) सभी नैत्यक कार्य जैसे रूग्ण इतिवृत्त लेना, जांच, रोग निदान तथा सामान्य रोगों का आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा प्रबन्धन;
- (ii) नैत्यक चिकित्सीय नैदानिक विकृति परीक्षण कार्य जैसे हिमोग्लोबिन का आंकलन, पूर्ण हिमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त परजीवियों का सूक्ष्मदर्शीय परीक्षण, ष्टीवन परीक्षण एवं मल परीक्षा आदि। आयुर्वेद पद्धति से मल मूत्र परीक्षण। प्रयोगशाला के जांच परिणाम का प्रतिपादन तथा चिकित्सीय जांच तथा निदान करना;
- (iii) नैत्यक वार्ड प्रक्रिया में प्रशिक्षण तथा रोगी के आहार तथा आदतों की देख-रेख करना तथा औषधि कार्यक्रम का सत्यापन करना;

- (ख) **पंचकर्म:-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि पन्द्रह दिन या एकमास निम्न क्रियाकलापों के साथ होगी :-
- पूर्व कर्म, प्रधान कर्म तथा पश्चात् कर्म संबंधी पंचकर्म प्रक्रिया तथा तकनीक;
- (ग) **शल्य :-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-
- आयुर्वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन;
  - अवश्यंभावी शल्य आपात्काल जैसे अस्थिभंग तथा सन्धि-च्युति, उदरीय आपात स्थिति इत्यादि का प्रबन्धन;
  - सेप्टिक, एन्टीसेप्टिक तकनीक तथा जीवाणुनाशन इत्यादि का प्रयोगात्मक परीक्षण;
  - प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये;
  - संवेदनाहारी तकनीक का व्यवहारिक प्रयोग तथा संवेदनाहारी औषध का प्रयोग;
  - विकिरण चिकित्सा विज्ञान प्रक्रिया, एक्स-रे का नैदानिक प्रतिपादन, आई.वी.पी., बेरियम मील, सोनोग्राफी इत्यादि;
  - शल्य प्रक्रिया तथा नैत्यक वार्ड तकनीक जैसे :-
    - ताजा कटे/घाव को टांका लगाना;
    - घाव, जले, फोड़े इत्यादि की मरहम-पट्टी;
    - फोड़े का चीरा;
    - रसौली का उच्छेदन;
    - शिरशल्यक्रिया इत्यादि;
    - गुदा रोगों में क्षार-सूत्र का अनुप्रयोग;
- (घ) **शालाक्य:-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-
- आयुर्वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार सामान्य शल्य विकार का निदान तथा प्रबन्धन;
  - प्रशिक्षु को पूर्व शल्यक्रिया कर्म तथा पश्चात् शल्यक्रिया कर्म प्रबन्धनों में आवेष्टित किया जाना चाहिये;
  - कान, नाक, कंठ, दंत, नेत्र संबंधी समस्याओं हेतु शल्य प्रक्रिया;
  - नेत्र, कान, नाक, कंठ, दृष्टि दोष आदि की तत्सम्बन्धित उपकरणों से बहिरंग विभाग में जाँच;
  - बहिरंग विभाग स्तर पर प्रक्रियाएं, जैसे:- अंजन कर्म, नस्य, रक्तमोक्षण, कर्णपूरण, शिरोधारा, पुट पाक, कवल, गण्डूष इत्यादि;
- (ङ.) **प्रसूति एवं स्त्रीरोग:-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या दो माह होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा:-
- प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याएँ तथा उनका उपचार, प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल;
  - सामान्य तथा असामान्य प्रसव का प्रबंधन;
  - लघु तथा दीर्घ प्रासविक शल्य प्रक्रियाएँ इत्यादि;
- (च) **बाल रोग:-** इस विभाग में विशिखानुप्रवेश की अवधि एक माह या पन्द्रह दिन होगी एवं प्रशिक्षु को निम्नलिखित क्रियाकलापों से परिचित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा :-
- आयुर्वेदिक सिद्धान्तों तथा चिकित्सा के द्वारा भी प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर समस्याएँ तथा उनका उपचार एवं प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर अनुरक्षण;
  - प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोत्तर आपातकाल;
  - टीकाकरण योजना के साथ नवजात शिशु की देखभाल; एवं
  - महत्वपूर्ण कौमार भृत्य सम्बन्धी समस्याएँ तथा उनका आयुर्वेदिक प्रबंधन;

(6) विशिखानुप्रवेश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा का कोई सरकारी अस्पताल अथवा आयुर्वेदिक अस्पताल अथवा औषधालय- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा ग्रामीण अस्पताल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल अथवा आधुनिक चिकित्सा के किसी मान्य अथवा अनुमोदित अस्पताल अथवा आयुर्वेदिक अस्पताल अथवा औषधालय में विशिखानुप्रवेश के दौरान प्रशिक्षु को:

- (i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की नित्यचर्या तथा उनके अभिलेख के अनुरक्षण में परिचित होना चाहिए;
- (ii) ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में प्रचलित बिमारियों एवं उनके प्रबन्धन से परिचित होना चाहिए;
- (iii) ग्रामीण जनसंख्या एवं विभिन्न प्रतिरक्षण योजनाओं के स्वास्थ्य रक्षण अध्यापन में सम्मिलित होना;
- (iv) प्रशिक्षुओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा/गैर चिकित्सा स्टाफ की नित्यचर्या से परिचित होना चाहिये तथा इस अवधि में उन्हें स्टाफ के साथ सदैव सम्पर्क में रहना चाहिये;
- (v) उन्हें पंजिका उदाहरण स्वरूप दैनिक रोगी पंजिका, परिवार नियोजन पंजिका, शल्य पंजिका के अनुरक्षण के कार्य से परिचित होना चाहिये तथा विभिन्न सरकारी, स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये;
- (vi) राज्य/जिला सरकार के विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये;
- (vii) अस्पताल में आपातकालीन अनुभाग में आपातकालीन एवं आघात की घटनाओं की पहचान एवं उनके प्राथमिक उपचार और उन चिह्नित अस्पतालों में भेजने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागेदारी।

8. **मूल्यांकन-** विभिन्न विभागों में उन्हें आवंटित किये गये कार्य को पूरा करने के पश्चात् उन्हें संबंधित विभाग में उनके द्वारा किये गये सेवानिष्ठ कार्य के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्राप्त करना तथा अन्ततः उसे संस्थान के प्रधानाचार्य/प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिससे कि सफलतापूर्वक किये गये विशिखानुप्रवेश का समापन स्वीकृत किया जा सके।

9. **विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण-** (1) दो भिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के बीच स्थानान्तरण के मामले में विशिखानुप्रवेश का स्थानान्तरण मात्र महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय दोनों की सहमति से होगा।

(2) यदि स्थानान्तरण मात्र महाविद्यालय से महाविद्यालय का है परन्तु विश्वविद्यालय वही है तो मात्र दोनो महाविद्यालयों की सहमति की आवश्यकता होगी।

(3) यथास्थिति संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र तथा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किये गये आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानान्तरण विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

10. **परीक्षा-** (1) सिद्धान्त परीक्षा में अधिकतम चालीस प्रतिशत तक के अंको के न्यूनतम बीस प्रतिशत लघुत्तरीय प्रश्न तथा अधिकतम साठ प्रतिशत तक के अंको के न्यूनतम चार व्याख्यात्मक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों में विषय का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा।

- (2) विषय में पचहतर प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उस विषय में विशेष योग्यता प्रदान की जायेगी।
- (3) परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक विषय में सिद्धान्त, एवं प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक अथवा मौखिक परीक्षा में जैसा उपयुक्त हो, पृथक-पृथक न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।
- (4) पूरक परीक्षा नियमित परीक्षा के छः माह के भीतर होगी तथा अनुत्तीर्ण छात्र यथास्थिति इसकी पूरक परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होंगे।
- (5) परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक विषय में सिद्धान्त एवं प्रयोगात्मक कक्षा में छात्र की न्यूनतम पचहतर प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस संबंध में विभिन्न विषयों के लिये प्रत्येक छात्र हेतु एक कक्षा उपस्थिति कार्ड का अनुरक्षण किया जायेगा। प्रधानाचार्य प्रत्येक व्याख्यान तथा प्रयोगात्मक शिक्षण की अवधि की समाप्ति पर छात्रों तथा शिक्षकों के हस्ताक्षर प्राप्त करने का प्रबन्ध करेगा तथा प्रत्येक परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व अंतिम समापन हेतु प्रत्येक विभागाध्यक्ष को कार्ड भेजेगा।
- (6) यदि कोई छात्र किसी संज्ञानात्मक-कारण से नियमित परीक्षा में बैठने में असफल हो जाता है, तो वह पूरक परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में बैठेगा। ऐसे मामलों में नियमित परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति एक प्रयत्न के रूप में नहीं समझी जायेगी। ऐसे छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् नियमित छात्रों के साथ अध्ययन में भाग लेंगे तथा अध्ययन की आवश्यक अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् अगली व्यावसायिक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे।
- (7) विषय में कक्षा कार्य के निर्धारण के समय निम्न तथ्यों को विचाराधीन रखा जायेगा:-
  - (क) उपस्थिति में नियमितता;
  - (ख) आवधिक परीक्षा; एवं
  - (ग) प्रयोगात्मक कार्य।

11. **स्थानान्तरण-** (1) छात्र को किसी अन्य महाविद्यालय से अपना अध्ययन जारी रखने हेतु प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्थानान्तरण लेने की अनुमति दी जायेगी। अनुत्तीर्ण छात्रों को स्थानान्तरण तथा मध्यावधि स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) स्थानान्तरण हेतु, छात्र को दोनो महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की आपसी सहमति प्राप्त करनी होगी तथा स्थानान्तरण रिक्त सीट की सुनिश्चिति व भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् होगा।

## 12. (1) प्रश्न पत्रों की संख्या तथा सिद्धान्त तथा क्रियात्मक अथवा मौखिक के लिये अंक-

विषय का नाम	शिक्षण के घण्टों की संख्या			अधिकतम अंको का विवरण			
	सिद्धान्त	क्रियात्मक	कुल	प्रश्न पत्रों की संख्या	सिद्धान्त	क्रियात्मक	कुल
<b>प्रथम व्यावसायिक</b>							
1. पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास	100	---	100	दो	200	---	100
2. संस्कृत	200	---	200	एक	100	---	100
3. क्रिया शारीर	200	200	400	दो	200	100	300
4. रचना शारीर	300	200	500	दो	200	100	300
5. मौलिक सिद्धान्त एवं अष्टांग हृदय (सूत्र स्थान)	150	---	150	एक	100	50	150
<b>द्वितीय व्यावसायिक</b>							
1. द्रव्यगुण विज्ञान	200	200	400	दो	200	200	400
2. रोग निदान व विकृति विज्ञान	200	200	400	दो (1-पैथोलोजी, 1-आयुर्वेद)	200	100	300
3. रसशास्त्र भैषज्य कल्पना भाग-1	200	200	400	दो	200	200	400
4. चरक संहिता (पूर्वार्द्ध)	200	---	200	एक	100	50	100
<b>तृतीय व्यावसायिक</b>							
1. अगदतंत्र, व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक	200	100	300	एक	100	50	150
2. स्वस्थवृत्त एवं योग	200	100	300	दो	200	100	300
3. प्रसूति एवं स्त्रीरोग	200	200	400	दो	200	100	300
4. बालरोग	100	100	200	एक	100	50	150
5. चरक संहिता (उत्तरार्द्ध)	200	---	200	एक	100	50	150
<b>अन्तिम व्यावसायिक</b>							
1. काय चिकित्सा	300	200	500	दो	200	100	300
2. पंचकर्म	100	200	300	एक	100	50	150
3. शल्य तंत्र	200	150	350	दो	200	100	300
4. शालाक्य तंत्र	200	150	350	दो	200	100	300
5. शोध पद्धति एवं चिकित्सा सांख्यिकी	50	--	50	एक	50	---	50

## टिप्पणी :

- (1) सिद्धान्त तथा क्रियात्मक की अवधि साठ मिनट (एक घण्टा) से कम नहीं होगी तथा चिकित्सीय विषयों तथा रचना शारीर (श्व विच्छेदन) के क्रियात्मक की अवधि कम से कम एक सौ बीस मिनट (दो घण्टे) की होगी।
- (2) छात्रों का नैदानिक( क्लीनिकल) प्रशिक्षण तृतीय वर्ष के आगे प्रारम्भ होगा।
- (3) महाविद्यालय से संलग्न चिकित्सालय में छात्रों का नैदानिक( क्लीनिकल) प्रशिक्षण निम्नवत् होगा:-

(i) कायचिकित्सा (अन्तः एवं बाह्य):	अठारह माह
क) कायचिकित्सा (सामान्य)	छः माह
ख) मानस रोग	तीन माह
ग) रसायन एवं वाजीकरण	तीन माह
घ) पंचकर्म	तीन माह
ङ) रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान	तीन माह

(ii) शल्य (अन्तः एवं बाह्य )	नौ माह
क) शल्य (सामान्य)	तीन माह(शल्य कक्ष में कम से कम एक माह)
ख) शल्य (क्षार एवं अनुशस्त्र कर्म)	तीन माह(शल्य कक्ष में कम से कम एक माह)
ग) क्षार सूत्र	दो माह
घ) संज्ञाहरण	पन्द्रह दिन
ङ) विकिरण-चिकित्सा विज्ञान	पन्द्रह दिन
(iii) शालाक्य तंत्र (अन्तः एवं बाह्य)	चार माह(शल्य कक्ष में कम से कम एक माह)
(iv) प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग (बाह्य एवं अन्तः)	तीन माह (बाह्य एवं अन्तः)
(v) कौमार भृत्य (बाह्य एवं अन्तः)	एक माह
(vi) आत्ययिक (आघात)	दो माह

13. शिक्षण स्टाफ के लिए अर्हताएं एवं अनुभव - शिक्षण स्टाफ के लिए अर्हताएं एवं अनुभव निम्नवत् होंगे:-

(क) अनिवार्य अर्हताएं-

- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि।
- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की अनुसूची में सम्मिलित संबंधित विषय अथवा विशिष्टता में स्नातकोत्तर उपाधि।

(ख) अनुभव

- प्राध्यापक के पद हेतु:** सम्बन्धित विषय में कुल दस वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा सम्बन्धित विषय में सह-आचार्य (प्रवाचक) के रूप में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम पांच शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा वि-विद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल दस वर्षों का अनुसंधान अनुभव।
- प्रवाचक अथवा सह-आचार्य के पद हेतु: सम्बन्धित विषय में पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव अथवा मान्यता प्राप्त जर्नल में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्रों सहित केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्रों की अनुसंधान परिषदों अथवा विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय संस्थाओं में नियमित सेवा के कुल पांच वर्षों का अनुसंधान अनुभव।
- सहायक-आचार्य अथवा व्याख्याता के पद हेतु: प्रथम नियुक्ति के समय आयु पैतालीस वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा इसमें वर्तमान नियम अनुसार सेवारत अभ्यर्थियों को छूट दी जा सकती है।

**टिप्पणी :-** आयुर्वेद में डॉक्टरेट उपाधि धारक को प्राथमिकता दी जाएगी।

- (ग) **संस्था के प्रमुख के पद हेतु अर्हता एवं अनुभव:** संस्था के प्रमुख (प्रधानाचार्य अथवा अधिष्ठाता अथवा निदेशक) के पद हेतु अर्हता एवं अनुभव प्राध्यापक के पद हेतु निर्धारित अर्हता एवं अनुभव के समान होगा।

- (घ) **समवर्गी विषयों का प्रावधान:** तालिका के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता धारक अभ्यर्थी के अभाव में तालिका के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित समवर्गी विषयों में स्नातकोत्तर अर्हता धारक अभ्यर्थी व्याख्याता अथवा सहायक-आचार्य, प्रवाचक अथवा सह-आचार्य तथा प्राध्यापक के पद हेतु पात्र होंगे:-

तालिका

क्रम संख्या (1)	आवश्यक विशिष्टता (2)	समवर्गी विषय का नाम (3)
1.	स्वास्थ्यत	कायचिकित्सा
2.	अगद तंत्र	द्रव्यगुण या रस-शास्त्र
3.	रोग विज्ञान	कायचिकित्सा
4.	रचना शारीर	शल्य
5.	क्रिया शारीर	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धान्त अथवा कायचिकित्सा
6.	शालाक्य	शल्य
7.	पंचकर्म	कायचिकित्सा
8.	बालरोग	प्रसूति एवं स्त्रीरोग अथवा कायचिकित्सा
9.	कायचिकित्सा	मानसरोग
10.	शल्य	निश्चेतन एवं क्ष-किरण
11.	प्रसूति एवं स्त्री रोग	शल्य तंत्र



**टिप्पणी 1:** समवर्गी विषयों के प्रावधान की अनुमति इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगी।

**टिप्पणी 2:** नियमित डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.) धारक का शोध कार्य अनुभव एक वर्ष के शिक्षण अनुभव के समतुल्य माना जाएगा।

- 14. आयुर्वेद में परीक्षक की नियुक्ति-** संबंधित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव अथवा अनुसंधान अनुभव वाले नियमित अथवा सेवानिवृत्त शिक्षक अथवा अनुसंधानकर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को परीक्षक हेतु पात्र नहीं समझा जायेगा।”

क. नटराजन, निबंधक-सह-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./290 (124)]

**टिप्पणी:** अंग्रेजी एवं हिन्दी विनियम में कोई विसंगति पायी जाती है, तो अंग्रेजी विनियम नामतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2016 को अन्तिम माना जायेगा।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7<sup>th</sup> November, 2016.

**No. 24-14/2016 (U.G. Regulation).**—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of sub-section (1) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely:-

**1. Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

**2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, for the Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely:-**

#### “SCHEDULE - I

(See regulation 5)

**1. Aims and Objects.**- The Bachelor of Ayurveda education shall aim at producing graduates, having profound knowledge of Ashtanga Ayurveda supplemented with knowledge of scientific advances in modern medicine along with extensive practical training so as to become efficient physicians and surgeons fully competent to serve the health care services.

**2. Admission qualification.**- The eligibility to seek admission in Bachelor of Ayurveda education are as under-

- 12<sup>th</sup> standard with science or any other equivalent examination recognised by concerned State Governments and Education Boards with at least fifty per cent. aggregate marks in the subjects of Physics, Chemistry and Biology.
- For reserved category or special category like physically handicapped students in 10+2, they shall be given relaxation in marks for admission in Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery as per rules for time being in force.
- For foreign students any other equivalent qualification to be approved by the concerned authority may be allowed.

**3. Duration of course.**- The duration of the course shall be five years and six months comprising-

- |                                    |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| (a) First Professional             | - | Twelve months    |
| (b) Second Professional            | - | Twelve months    |
| (c) Third Professional             | - | Twelve months    |
| (d) Final Professional             | - | Eighteen months. |
| (e) Compulsory Rotatory Internship | - | Twelve months    |

**4. Degree to be awarded.**- The candidate shall be awarded Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery- B.A.M.S.) degree after passing all the examinations and completion of the prescribed course of study extending over the prescribed period and the compulsory rotatory internship extending over twelve months.

**5. Medium of instruction.**- The medium of instruction for the course shall be Sanskrit or Hindi or any recognised regional language or English.

**6. Scheme of examination.**- (1) (a) The first professional session shall ordinarily start in July and the first professional examination shall be at the end of one academic year of first professional session;

(b) The first professional examination shall be held in the following subjects, namely:-

- Padarth Vigyan evam Ayurved Itihas;

- (ii) Sanskrit;
- (iii) Kriya Sharir (Physiology);
- (iv) Rachana Sharir (Anatomy); and
- (v) Maulik Siddhant evam Ashtanga Hridaya (Sutra Sthan);
- (c) The failed student of first Professional shall be allowed to appear in second professional examination, but the student shall not be allowed to appear in third professional examination unless the student passes all the subjects of first professional examination and maximum four chances shall be given to pass first professional examination within a period of maximum three years.
- (2) (a) The second professional session shall start every year in the month of July following completion of first professional examination and the second professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of May or June every year after completion of one year of second professional session;
- (b) The second professional examination shall be held in the following subjects, namely:-
- (i) Dravyaguna Vigyan (Pharmacology and Materia Medica);
- (ii) Rasashastra evam Bhaishajya Kalpana (Pharmaceutical Science);
- (iii) Roga Nidan evam Vikriti Vigyan (Diagnostic Procedure and Pathology); and
- (iv) Charak Samhita-Purvardh (an ancient Ayurvedic text, Part -I);
- (c) The failed student of second professional who have passed all the subjects of first professional examination shall be allowed to appear in third professional examination, but the student shall not be allowed to appear in final professional examination unless the student passes all the subjects of second professional examination and maximum four chances shall be given to pass second professional examination within a period of maximum three years.
- (3) (a) The third professional session shall start every year in the month of July following completion of second professional examination and the third professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of the month of May or June every year after completion of one year of third professional session;
- (b) The third professional examination shall be held in the following subjects, namely:-
- (i) Agad Tantra Vyavahar Ayurveda evam Vidhi Vaidyaka (Toxicology and Medical Jurisprudence);
- (ii) Charak Samhita-Uttarardh (an ancient Ayurvedic text, Part -II);
- (iii) Swasthavritta and Yoga (Preventive and Social Medicine and Yoga);
- (iv) Prasuti evam Striroga (Obstetrics & Gynaecology); and
- (v) Bal Roga (Paediatrics);
- (c) The failed student of third professional who have passed all the subjects of first and second professional examinations shall be allowed to appear in final professional examination and maximum four chances shall be given to pass third professional examination within a period of maximum three years.
- (4) (a) The final professional session shall be of one year and six months duration and shall start every year in the month of July following completion of third professional examination and the final professional examination shall be ordinarily held and completed by the end of month of October or November every year after completion of one year and six months of final professional session;
- (b) The final professional examination shall comprise of the following subjects, namely:-
- (i) Shalya Tantra (General Surgery);
- (ii) Shalakyata Tantra (Diseases of Head and Neck including Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry);
- (iii) Kayachikitsa (Internal Medicine-including Manas Roga, Rasayan and Vajikarana);
- (iv) Panchakarma; and
- (vi) Research Methodology and Medical-statistics;
- (c) Research Methodology shall remain in the department of Samhita Siddhant but for the purpose of teaching, Bio-statistician shall be required as part time to teach Research Methodology;
- (d) The student failed in any of the four professional examinations in four chances shall not be allowed to continue his or her studies:

Provided that, in case of serious personal illness of a student and in any unavoidable circumstances, the Vice-Chancellor of the concerned University may provide one more chance in any one of four professional examinations;

(e) To become eligible for joining the compulsory internship programme, all four professional examinations shall be passed within a period of maximum nine years including all chances as mentioned above.

**7. Compulsory Rotatory Internship.-** (1) The duration of Compulsory Rotatory Internship shall be one year and the student shall be eligible to join the compulsory internship programme after passing all the subjects from first to the final professional examination and the internship programme shall be start after the declaration of the result of final professional examination.

(2) The Internship Programme and time distribution shall be as follows:-

- (a) the interns shall receive an orientation regarding programme details of internship programme along with the rules and regulations, in an orientation workshop, which shall be organised during the first three days of the beginning of internship programme and a work book shall be given to each intern, in which the intern shall enter date-wise details of activities undertaken by him or her during his or her training;
- (b) every intern shall provisionally register himself with the concerned State Board or Council and obtain a certificate to this effect before joining the internship program;
- (c) the daily working hours of intern shall be not less than eight hours;
- (d) normally one-year internship programme shall be divided into clinical training of six months in the Ayurvedic hospital attached to the college and six months in Primary Health Centre or Community Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine:

Provided that where there is no provision or permission of the State Government for allowing the graduate of Ayurveda in the hospital or dispensary of Modern Medicine, the one-year Internship shall be completed in the hospital of Ayurvedic college.

3. The clinical training of six or twelve months, as case may be, in the Ayurvedic hospital attached to the college or in non-teaching hospitals approved by Central Council of Indian Medicine shall be conducted as follows:-

Sl.No.	Departments	Distribution of six months	Distribution of twelve months
(i)	Kayachikitsa	Two months	Four Months
(ii)	Shalya	One month	Two months
(iii)	Shalakya	One month	Two months
(iv)	Prasuti evam Striroga	One month	Two months
(v)	Balroga-Kaumarabhritya	Fifteen days	One month
(vi)	Panchakarma	Fifteen days	One month

4. Six months training of interns shall be carried out with an object to orient and acquaint the intern with the National health Programme and the intern shall undertake such training in one of the following institutes, namely:-

- (a) Primary Health Centre;
- (b) Community Health Centre or District Hospital;
- (c) Any recognised or approved hospital of modern medicine;
- (d) Any recognised or approved Ayurvedic hospital or Dispensary:

Provided that all the above institutes mentioned in clauses (a) to (d) shall have to be recognised by the concerned University and concerned Government designated authority for taking such a training.

5. Detailed Guidelines for internship programme.- The guidelines for conducting the internship clinical training of six or twelve months in the Ayurvedic Hospital attached to the college and the intern shall undertake the following activities in the respective department as shown below:-

- (a) Kayachikitsa- The duration of internship in this department shall be two months or four months with following activities:-
  - (i) all routine works such as case taking, investigations, diagnosis and management of common diseases by Ayurvedic Medicine;
  - (ii) routine clinical pathological work such as haemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood parasites, sputum examination, stool examination, Mutra evam Mala pariksha by Ayurvedic method, interpretation of laboratory data and clinical findings and arriving at a diagnosis;

- (iii) training in routine ward procedures and supervision of patients in respect of their diet, habits and verification of medicine schedule;
- (b) Panchakarma- The duration of internship in this department shall be fifteen days or one month with following activities:-
- (i) Panchakarma procedures and techniques regarding purva karma, pradhan karma and pashchat Karma;
- (c) Shalya- The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-
- (i) diagnosis and management of common surgical disorders according to Ayurvedic principles;
- (ii) management of certain surgical emergencies such as fractures and dislocations, acute abdomen;
- (iii) practical training of aseptic and antiseptics techniques, sterilization;
- (iv) intern shall be involved in pre-operative and post-operative managements;
- (v) practical use of anesthetic techniques and use of anesthetic drugs;
- (vi) radiological procedures, clinical interpretation of X-ray, Intra Venous Pyelogram, Barium meal, Sonography and Electro Cardio Gram;
- (vii) surgical procedures and routine ward techniques such as-
- (a) suturing of fresh injuries;
- (b) dressing of wounds, burns, ulcers and similar ailments;
- (c) incision of abscesses;
- (d) excision of cysts;
- (e) venesection; and
- (f) application of Ksharasutra in ano rectal diseases;
- (d) Shalakyas- The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-
- (i) diagnosis and management of common surgical disorders according to Ayurvedic principles;
- (ii) intern shall be involved in Pre-operative and Post-operative managements;
- (iii) surgical procedures in Ear, Nose, Throat, Dental problems, Ophthalmic problems;
- (iv) examinations of Eye, Ear, Nose, Throat and Refractive Error with the supportive instruments in Out-Patient Department; and
- (v) procedures like Anjana Karma, Nasya, Raktamokshan, Karnapuran, Shirodhara, Putpak, Kawal, Gandush at Out-Patient Department level;
- (e) Prasuti evam Striroga- The duration of internship in this department shall be one month or two months and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-
- (i) antenatal and post-natal problems and their remedies, antenatal and post-natal care;
- (ii) management of normal and abnormal labours; and
- (iii) minor and major obstetric surgical procedures;
- (f) Balroga- The duration of internship in this department shall be fifteen days or one month and intern shall be practically trained to acquaint with the following activities:-
- (i) antenatal and post-natal problems and their remedies, antenatal and post-natal care also by Ayurvedic principles and medicine;
- (ii) antenatal and post-natal emergencies;
- (iii) care of new born child along with immunization programme; and
- (iv) important pediatric problems and their Ayurvedic managements.

(6) The Internship training in Primary Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of modern medicine or Ayurvedic Hospital or Dispensary- During the six months internship training in Primary Health Centre or Rural Hospital or Community Health Centre or District Hospital or any recognised or approved hospital of Modern Medicine or Ayurvedic Hospital or Dispensary, the interns shall –

- (i) get acquainted with routine of the Primary Health Centre and maintenance of their records;
- (ii) get acquainted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and their management;
- (iii) involve in teaching of health care methods to rural population and also various immunization programmes;
- (iv) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre and be always in contact with the staff in this period;
- (v) get familiarised with the work of maintaining the relevant register like daily patient register, family planning register, surgical register and take active participation in different Government health schemes or programmes;
- (vi) participate actively in different National Health Programmes implemented by the State Government; and
- (vii) participate actively in casualty section of the hospital in identification of casualty and trauma cases and their first aid treatment and also procedure for referring such cases to the identified hospitals.

**8. Assessment.-** After completing the assignment in various Sections, the interns have to obtain a completion certificate from the head of the Section in respect of their devoted work in the Section concerned and finally submitted to Principal or Head of the institute so that completion of successful internship can be granted.

**9. Migration of Internship.-** (1) The Migration of internship shall be with the consent of the both college and University, in case of migration is between the colleges and two different Universities.

- (2) In case migration is only between colleges of the same University, the consent of both the colleges shall be required.
- (3) The migration shall be accepted by the University on the production of the character certificate issued by institute or college and application forwarded by the college and University with a “No Objection Certificate”, as case may be.

**10. Examination.-** (1) The theory examination shall have minimum twenty per cent. short answer questions having maximum mark up to forty per cent. and minimum four questions for long explanatory answer having maximum marks up to sixty per cent. and these questions shall cover entire syllabus of subject.

- (2) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory and fifty per cent. in practical or clinical or viva-voce, wherever applicable separately in each subject.
- (3) A candidate obtaining seventy-five per cent. marks in the subject shall be awarded distinction in the subject.
- (4) The supplementary examination shall be held within six months of regular examination and failed students shall be eligible to appear in its supplementary examination, as the case may be.
- (5) Each student shall be required to maintain seventy-five per cent. attendance in each subject (in theory and practical) for appearing in the examination and in this regard a class attendance card shall be maintained for each student for the different subjects and the Principal shall arrange to obtain the signature of the students, teachers at the end of each course of lectures and practical instructions and send the cards to each Head of the Department for final completion before the commencement of each examination.
- (6) In case a student fails to appear in regular examination for cognitive reason, he or she shall appear in supplementary examination as regular students, whose non-appearance in regular examination shall not be treated as an attempt and such students after passing examination shall join the studies with regular students and appear for next professional examination after completion of the required period of study.
- (7) The following facts may be taken into consideration in determining class work in the subject-
  - (a) Regularity in attendance;
  - (b) Periodical tests; and
  - (c) Practical work.

**11. Migration.-** (1) The Students may be allowed to take the migration to continue their study to another college after passing the first professional examination, but failed students transfer and mid-term migration shall not be allowed.

- (2) For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both colleges and Universities and it shall be against the vacant seat after obtaining “No Objection Certificate” from Central Council.

**12. (1) Number of papers and marks for theory and practical or viva-voce:**

Name of the subject	Number of hours of teaching			Details of maximum marks			
	Theory	Practical	Total	Number of papers	Theory	Practical or Viva-voce	Total
<b>1<sup>st</sup> Professional</b>							
1. Padarth Vigyan evam Ayurved ka Itihas	100	---	100	Two	200	---	200
2. Sanskrit	200	---	200	One	100	---	100
3. Kriya Sharir	200	200	400	Two	200	100	300
4. Rachana Sharir	300	200	500	Two	200	100	300
5. Maulik Siddhant evam Asthanga Hridaya (Sutra Sthan)	150	---	150	One	100	50	150
<b>2<sup>nd</sup> Professional</b>							
1. Dravyaguna Vigyan	200	200	400	Two	200	200	400
2. Roga Nidan evam Vikriti Vigyan	200	200	400	Two (01 – Pathology 01- Ayurveda)	200	100	300
3. Rasashastra evam Bhaishjya Kalpana	200	200	400	Two	200	200	400
4. Charak Samhita (Purvardh)	200	---	200	One	100	50	150
<b>3<sup>rd</sup> Professional</b>							
1. Agad Tantra, Vyavhar Ayurved evam Vidhi Vaidyak	200	100	300	One	100	50	150
2. Swasthavritta and Yoga	200	100	300	Two	200	100	300
3. Prasuti evam Striroga	200	200	400	Two	200	100	300
4. Balroga	100	100	200	One	100	50	150
5. Charak Samhita (Uttarardh)	200	--	200	One	100	50	150
<b>Final Professional</b>							
1. Kayachikitsa	300	200	500	Two	200	100	300
2. Panchakarma	100	200	300	One	100	50	150
3. Shalya Tantra	200	150	350	Two	200	100	300
4. Shalakya Tantra	200	150	350	Two	200	100	300
5. Research Methodology and Medical Statistics	50	--	50	One	50	---	50

**NOTE:** The period of theory and practical shall not be less than sixty minutes (one hour) and the duration of the practical of clinical subjects and Rachana Sharir (Dissection) shall be of at least one hundred and twenty minutes (two hours).

(2) Clinical training of the students shall start from third professional onwards.

(3) The clinical training in the hospital attached with college to the students shall be as follows:-

(i) **Kayachikitsa** (Indoor and Outdoor):

**Eighteen Months**

- (a) Kayachikitsa (Samanya) - Six months
- (b) Manasroga - Three months
- (c) Rasayan and Vajikaran - Three months
- (d) Panchakarma - Three months
- (e) Rog Nidan evam Vikriti Vigyan - Three months

(ii) **Shalya** (Indoor and Outdoor):

**Nine Months**

- (a) Shalya (Samanya) - Three months (minimum one-month in Operation Theatre)
- (b) Shalya (Kshar and Anushastra Karma) - Three months (minimum one-month in Operation Theatre)
- (c) Ksharsutra - Two months

- (d) Anaesthesia - Fifteen days
- (e) Radiology - Fifteen days
- (iii) **Shalakya Tantra** (Indoor and Outdoor): **Four months** (minimum one-month in Operation Theatre)
- (iv) **Prasuti evam Striroga** (Outdoor and indoor) : **Three months**
- (v) **Kaumarabhritya** (Outdoor and indoor) : **One month**
- (vi) **Atyayik (casualty)** : **Two months**

**13. Qualifications and Experience for teaching staff.-** The qualifications and experience for teaching staff shall be as follows:-

**(a) Essential qualification-**

- (i) A Bachelor degree in Ayurveda from a University or its equivalent as recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970; and
- (ii) A Post-graduate qualification in the subject or speciality concerned included in the Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

**(b) Experience-**

- (i) **For the post of Professor:** Ten years teaching experience in concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor (Reader) in concerned subject or ten years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with minimum five papers published in a recognised journal.
- (ii) **For the post of Reader or Associate Professor:** Five years teaching experience in concerned subject or five years research experience in regular service in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions with minimum three papers published in a recognised journal.
- (iii) **For the post of Assistant Professor or Lecturer:** The age shall not exceed forty-five years at the time of first appointment and it may be relaxed for in-service candidates as per the existing rules.

**Note:** Priority shall be given to the candidates having Doctoral in Ayurveda.

**(c) Qualification and experience for the post of Head of the Institution –**The qualification and experience for the post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director) shall be the same qualification and experience prescribed for the post of Professor.

**(d) Provision of allied subject-** In absence of the candidate of post-graduate qualification in the subject concerned as mentioned in column (2) of the table, the candidate of post-graduate qualification in the allied subjects as mentioned in column (3) of the table, shall be considered eligible for the post of Lecturer or Assistant Professor, Reader or Associate Professor and Professor:-

**Table**

Sl.No.	Speciality required	Name of the allied subjects
(1)	(2)	(3)
1.	Swasthavritta	Kayachikitsa
2.	Agada Tantra	Dravyaguna or Rasashastra
3.	Roga Vigyana	Kayachikitsa
4.	Rachana Sharira	Shalya
5.	Kriya Sharira	Ayurveda Samhita evam Siddhant or Kayachikitsa
6.	Shalakya	Shalya
7.	Panchakarma	Kayachikitsa
8.	Balaroga	Prasuti evam Striroga or Kayachikitsa
9.	Kayachikitsa	Manasaroga
10.	Shalya	Nischetana evam Ksha- kirana
11.	Prasuti evam Strirog	Shalya Tantra

**Note 1:** The provision of allied subjects may be allowed for five years from the date of publication of these regulations.

**Note 3:** The research experience of regular Doctor of Philosophy (Ph.D.) holder may be considered equivalent to one year teaching experience.

**14. Appointment of Examiner in Ayurveda.-** No person other than regular or retired teacher or researcher with minimum three years teaching or research experience in the concerned subject shall be considered eligible for examinership”.

K. NATARAJAN, Registrar-cum-Secry.

[Advt. III/4/Exty./290(124)]

**Note :** If any discrepancy is found between Hindi and English version of “Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016”. The English version will be treated as final.